न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।

वाद सं0–12/2022 धारा–144 दं0प्र0स0

गोविन्द प्रसाद –बनाम– आशिष केशरी वगै0

तारीख	–:आदेशः–	अभियुक्ति

प्रस्तुत वाद की कार्रवाई आवेदक के आवेदन के आधार पर इनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्क के अनुसार निम्न भूमि पर तनाव व्याप्त है। उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर शांति व्यवस्था,विधि–व्यवस्था बनाये रखने के मद्देनजर धारा 144 द0प्र0स0 के तहत कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए पक्षकारों को विवादित भूमि पर जाने से (02 माह) तक रोक लगाते हुए नोटिस तामिला हेतु भेजा जो साक्ष्य के रूप में संल्गन है।

विवादी भूमि का ब्यौरा इस प्रकार है :–

मौजा– करियातपुर, थाना–बरही,जिला–हजारीबाग।

खाता नं0	प्लौट नं0	रकबा	चौहदी
18	1661	1.10 ए0 मधे रकवा 240 फीट लम्बा एवं 23फीट चौडा	उ0– जी0टी0 रोड एवं स्कुल द0– कच्चा रास्ता पू0– नीज प0– महेन्द्र केशरी

अभिलेख में दाखिल कारणपृच्छा, दाखिल दस्तावेज एवं विद्वान अधिवक्ताओं के दलील के आधार पर एवं अभिलेख के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि वादगत भूमि पर पूर्व में पक्षकारों के बिच सिविल कोट हजारीबाग से पारटिशन (Partition) हो चुका है जैसा कि इनके विज्ञ अधिवक्ताओं द्वारा बहस के कम में बताया गया,तथा पारटिशन (Partition) के पश्चात हिस्सेदार अपनी–अपनी भूमि का हिस्सा ब्रिकय कर शैष रिक्त भूमि को पक्षकार अपना–अपना बता रहे है जिससे स्पष्ट है कि वादगत भूमि का विवाद Civil Nature का है। जिसका निवारण द0प्र0स0–144 के अन्तर्गत नहीं किया जा सकता है।

अतः उभय पक्षों को शांति व्यवस्था बनाये रखने के निर्देश के साथ वाद की कार्यवाही बिना किसी बाध्यकारी आदेश के समाप्त की जाती है। उभय पक्ष व्यवहार न्यायालय में जाने कि लिए स्वतंत्र है।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग

अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग

Digitally signed by POONAM KUJUR
Date: 2023.02.09 11:48:48 +05:30
Location: 192.168.1.41